

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27(3)(3)/पदो./अभि/24/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं.27(3)(3)पदो/ अभि/24 / राजकाज नं.10607453दिनांक 20.09.2024 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री अनिल कुमार जोशी पुत्र श्री शिव कुमार को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर, निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक सं. 3-5(2)स्था/ मंत्रा/अभि/ 23/ 691-790 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा पदोन्नति पर इनका पदस्थापन उप निदेशक अभियोजन, बूंदी में किया गया था। श्री अनिल कुमार जोशी द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति परित्याग का अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप इनको पदोन्नति परित्याग (**forgo**) करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, भीलवाडा में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
03. उप निदेशक अभियोजन, भीलवाडा/बूंदी।
04. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:-सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
05. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन

राजस्थान जयपुर